अंक ६०

नई दिल्ली, फरवरी २०१५

[निजी प्रसार के लिए]

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई.

जनतांत्रिक पुलिस के लिए

'कार्य-अवधि को तर्कसंगत बनाना पुलिस सुधार की ओर पहला कदम माना जाए'

श्री कमल कुमार

पुलिस अनुसंधान एंव विकास ब्यूरो ने हाल ही में "थाने में ८ घंटे शिफ्ट के लिए जनबल की राष्ट्रीय आवश्यकता" नामक शोध रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट के शोधकर्ता और पुलिस सुधार के एक बड़े हितैशी श्री कमल कुमार, सेवा निवृत आई.पी.एस. अधिकारी से, ज़ीनत मलिक के इसी अध्ययन पर केन्द्रित साक्षात्कार को पाठकों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

सर, 'शिफ़्ट सिस्टम' को पुलिसिंग में सम्मिलित करने की आवश्यकता लम्बे समय से है। सबसे पहले आपको इस अध्ययन के लिए बधाई। पहले इसके बारे में बताएं कि क्यों आपने शोध के लिए यह विषय चुना?

चुँकि, पुलिसिंग एक चौबीस घंटे चलने वाला काम है, थाने में शिफ़्ट सिस्टम में काम किये जाने की आवश्यकता स्पष्ट थी। शिफ़्ट सिस्टम की ज़रूरत जैसा कि आपने कहा, लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इसलिए, यह स्वास्थ्यकर था कि पुलिस अनुसंधान एंव विकास ब्यूरो, भारत सरकार ने इस विषय को एक व्यवस्थागत आनुभविक अध्ययन किये जाने के लिए चयनित किया ताकि थाने के कर्मचारियों को अनियमित कार्यअवधि से होने वाली समस्याओं की हद को माप सकें और शिफ़्ट में काम करने के लिए जनबल एंव दूसरी आवश्यकताओं को समझ सकें।

इस शोध परिणाम को क्या आप अपनी अपेक्षा के अनुसार पाते हैं या शोध सर्वेक्षण के परिणाम आपकी अपेक्षा से अलग हैं?

थाना कर्मचारियों के अत्यधिक लंबी कार्य-अवधि की समस्या भली भांति मालूम है, फिर भी, इस विषय पर गत समय में अधिक आनुभविक अध्ययन नहीं किये गये। इसलिए, अस्पष्ट गणना के अलावा, उनकी कार्य अवधि केस के पुनर्गठन को समर्थन करने के लिए कोई आँकड़ा नहीं था। यह अध्ययन उस कमी को दूर करेगा।

इस अध्ययन के बाद आपने पुलिस में 'शिफ़्ट सिस्टम' को अति शीघ्र सम्मिलित करने का सुझाव दिया है। इसके लिए देश भर में कुल ३ लाख ३७५०० अतिरिक्त कर्मियों की भर्ती करने की भी सिफ़ारिश की है। कृपया पाठकों को इस आँकड़े पर पहुँचने की पद्धति के बारे में थोड़ी जानकारी दें, क्योंकि पूरी रिपोर्ट पढ़ना शायद उनके लिए सम्भव न हो।

अध्ययन ने, स्वयं थाना कर्मचारियों और उनके एस.एच.ओ. तथा पर्यवेक्षन अधिकारियों के साथ किये गये सर्वेक्षण द्वारा, थाना कर्मचारियों के द्वारा लगाये जाने वाले वास्तविक घंटों को निश्चित करने का प्रयत्न किया है। उनके उत्तरों के औसतों के आधार पर वास्तविक स्थिति पर पहुँचा गया है। उसके बाद कर्मचारियों द्वारा ८ घंटों से अधिक लगाए जाने वाले अतिरिक्त घंटों को जोड़कर उसके लिए आवश्यक जनबल की संख्या तय की गई है। इसी पद्धति का उपयोग स्टाफ द्वारा साप्ताहिक अवकाशों को छोड़ने की स्थिति के लिए भी किया गया है। इस प्रकार, शिफ्ट सिस्टम को प्रारम्भ करने के लिए, वर्तमान संख्या से ६१% अधिक जनबल की आवश्यकता है। इसके विवरण को रिपोर्ट के अध्याय ८ में देखा जा सकता है।

इसके अलावा, नमूना थानों के थाना प्रभारियों से भी कहा गया कि वह अपने-अपने थानों में शिफ़्ट सिस्टम के बाद, अतिरिक्त जनबल की आवश्यकता का सावधानीपूर्वक आकलन करें। उनके द्वारा दर्शाये गये कुल औसत आवश्यकता वर्तमान से ६८% अधिक जनबल की थी (सभी स्तरों पर एक साथ मिलाने पर)।

आगे, हमारे शोध अध्ययन में, आनुभविक रूप से इस परिकल्पना को जांच करने के लिए एक प्रायोगिक शोध परीक्षण भी शामिल था कि ८ घंटे के शिफ़्ट सिस्टम से पुलिस की कार्य क्षमता और जनता के प्रति पुलिस के व्यवहार पर इसका साकारात्मक प्रभाव होगा। इसके लिए, अतिरिक्त जनबल की आवश्यकता का सावधानी से आकलन करने के बाद ८ घंटे के शिफ़्ट सिस्टम को वास्तविक रूप से ५ नमूना थानों (मध्य प्रदेश में) में लागू किया गया। यह प्रयोग, जिसमें उन थानों में ५१.६% अतिरिक्त जनबल की अस्थायी नियुक्ति की गई थी (हांलाकि, वास्तविक आवश्यकता इससे कुछ अधिक थी जिसे संघटित नहीं किया जा सका), इसने कर्मचारियों के कार्य-जीवन में बेहतर संतुलन के अलावा, उन थानों की पुलिसिंग क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार किया, जैसा कि कार्यनिष्पादन सूचक के विभिन्न मापदण्डों में दर्शाया गया है। इसके विवरण को रिपोर्ट के अध्याय ११ में देखा जा सकता है।

आपने पुलिसिंग के मुख्य कार्यों को अलग करने तथा दूसरे कार्यों को आऊटसोर्स करने के साथ ही उन कार्यों को अलग करने का भी सुझाव दिया है जिसमें ८ घंटे, दो या तीन शिफ़्ट में काम करने की आवश्यकता है। आप जांच के काम को किस श्रेणी में रखेंगे और क्यों?

अपराध की जांच करना पुलिस के बुनियादी और महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। इसलिए, इसे आऊटसोर्स करने का सवाल ही नहीं उठता है। अधिकांश केसों में जांच एक लगातार चलने वाली गतिविधि है जिसे आवश्यक रूप से एक ही अधिकारी या टीम के द्वारा किया जाना चाहिए। उसी रूप में इसे शिफ़्ट में नहीं किया जा सकता है। जांच अधिकारी और उसके टीम के सदस्यों को प्रतिदिन या जब आवश्यकता हो तो सामान्य ८ घंटे की कार्य अवधि के अलावा काम करना पड़ता है। इसलिए, उनकी कार्य अवधि को साप्ताहिक स्तर पर मापा जाना चाहिए और अतिरिक्त कार्य के लिए उन्हें मुआवज़ा मिलना चाहिए चाहे छुट्टी के तौर पर या आर्थिक रूप से।

आपके सुझाव के अनुसार अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की संख्या को पुर्ण करने के लिए केवल महिलाओं की भर्ती की जानी चाहिए ताकि उनकी भागीदारी २०% हो जाए-क्या यह कहना उचित होगा कि शिफ्ट सिस्टम की शुरूआत मूलतः महिलाओं को लाभ पहुँचाने वाला है?

नये उत्पन्न पदों को महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति से भरने की सिफ़ारिश, केवल एक बार के लिए की गई है। इसका मकसद, एक ही बार में थाने में महिला पुलिस के अनुपात को बढ़ाना है जो वर्तमान में असंतोषजनक रूप से कम है। यह कोई स्थायी उपाय नहीं है।

शेष भाग पृष्ठ २ पर.....

बूझो और जीतो-३८

प्रिय पाठकों,

इस खण्ड के अंतर्गत, पिछले कुछ महीनों से इसे एक ख़ास विषय पर केन्द्रित करने का निर्णय लिया गया है ताकि पाठकों को विषय विशिष्ट जानकारी प्राप्त हो सके। इसके अनुसार इस बार हम संविधान में उल्लेखित 'मौलिक अधिकारों' से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। आशा है, आपको प्रश्न पसंद आएंगे और आप अधिक से अधिक संख्या में इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगी/लेंगे।

किसी अंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, तीसरे महीने के अंक में प्रकाशित किये जाते हैं ताकि पाठकों को प्रविष्टियाँ भेजने के लिए पर्याप्त समय मिले। २ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रूपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा भेजा जाता है और इन विजेताओं के नाम पत्रिका में प्रकाशित भी किये जाते हैं।

इस अंक के सवाल निम्नलिखित हैं:-

१. क्या एक नागरिक होने के नाते हमारे कुछ बुनियादी कर्तव्य भी हैं? यदि 'हां' तो किस कानून में इसका उल्लेख है?
२. राष्ट्रीय ध्वज के प्रति हमारे मौलिक कर्तव्य में क्या कहा गया है?
३. क्या महिलाओं के प्रति भी नागरिकों के कोई मौलिक दायित्व हैं? संबंधित प्रावधान में क्या कहा गया है?
४. क्या सार्वजनिक संपत्ति से भी संबंधित कोई मूल कर्तव्य हैं?
५. देश की रक्षा के लिए नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या हैं और कहां वर्णित हैं?

बूझो और जीतो - ३५ का परिणाम

नवंबर २०१४ अंक के परिणाम को इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं:-

१. नहीं किसी बच्चे को दोषी पाये जाने पर उम्रकैद का दण्ड नहीं दिया जा सकता है। ऐसा किशोर न्याय कानून, २००० की धारा १६(१) में कहा गया है।
२. हाँ, किसी बच्चे को यदि उस पर ज़मानती या अज़मानती अपराध का आरोप लगा हो तो भी तुरंत उसे किशोर न्याय कानून, २००० की धारा १२ के अंतर्गत ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है।
३. किशोर न्याय कानून, २००० की धारा १६(१) के अंतर्गत किसी बच्चे को किसी भी अपराध के दोषी पाये जाने पर मृत्यू दण्ड या आजीवन कारावास का दण्ड नहीं दिया जा सकता है।
४. किसी बच्चे की गिरफ़्तारी के बाद, यदि उसे ज़मानत पर नहीं छोड़ा गया है तो उसे केवल पर्यवेक्षण गृह में (Observation Home) रखा जाना चाहिए, ऐसा किशोर न्याय कानून, २००० की धारा १२(१) और (२) में कहा गया है।
५. किशोर न्याय कानून, २००० की धारा १५(छ) के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड किसी बच्चे को ३ साल तक के लिए विशेष गृह (Special Home) में भेज सकती है। यह अवधि कम भी हो सकती है पर इससे अधिक नहीं।

विजेता

इस बार हमें किसी भी प्रविष्टि में सभी प्रश्नों के उत्तर सही नहीं मिले हैं, इसलिए इस अंक में किसी को भी विजेता घोषित नहीं किया जा सका।

ज़ीनत मलिक
प्रधान संपादक, *लोक पुलिस*
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव
(सी.एच.आर.आई.)
तीसरी मंज़िल, ५५ ए, सिद्धार्थ चैम्बर्स, कालू सराय, नई दिल्ली-१६
फोन: ९१ ११ ४३१२०८००, ४३१८०२२९
फैक्स: ९१ ११ २६८६४६८८
ई-मेल: zeenatmalick@gmail.com
वेबसाईट: http://www.humanrightsinitiative.org

पुलिस : आठ घंटे की कार्य अवधि लागू की जाए!

पुलिस विभाग के वर्तमान कार्य प्रबंधन में, विशेष कर थाना और ज़िला स्तर पर, पुलिसकर्मियों की कार्य अवधि कहीं भी निश्चित नहीं है। वैसे तो, पुलिस कार्य को संचालित करने वाले अधिकांश कानूनों में भी पुलिस के काम करने के लिए कोई अवधि निश्चित की ही नहीं गई है। बल्कि पुलिस को २४ घंटे 'काम पर' माना जाएगा, ऐसा कहा गया है। ऐसा लगता है जैसे किसी मनुष्य की नहीं बैटरी संचालित रोबोर्ट की बात की जा रही है जिसकी कोई मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक और सामाजिक आवश्यकता ही नहीं है। एक बार बैटरी भर दी और वह चलता रहेगा। लेकिन, मानवीय रूप से यह असंभव अपेक्षा मनुष्य रूपी मशीन से की जाती है, जिसे पुलिस कहते हैं।

बल में भर्ती होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को साधारणतः यह ज्ञात होता है कि उनका काम लोगों को सुरक्षा प्रदान करना और अपराधों को रोकना तथा अपराधियों को पकड़ कर न्यायपालिका के समक्ष उचित दण्ड के लिए प्रस्तुत करना है। लेकिन, इन ज़िम्मेदारियों को पूरे मनोबल के साथ निभाने के लिए जिस मानसिक और शारीरिक अवस्था की ज़रूरत होती है उसमें काम के बाद, विश्राम और काम के प्रति सम्मान तथा आदर सम्मिलित है। पुलिस को वह कदापि नहीं मिलता। पुलिस का जो भाग जनता के संपर्क में सबसे अधिक आता है अर्थात थाना स्तर के कर्मचारी एंव पदाधिकारी उन्हें प्रति दिन कितने घंटे काम करना होगा, इसे कोई भी निश्चित नहीं कर सकता। इसके विपरीत परिणाम स्वरूप पुलिस कर्मियों का रूखा और अशिष्ट बर्ताव जनता को झेलना पड़ता है क्योंकि औसतन १०-१६ घंटे लगातार बगैर अवकाश के काम करते रहने वाले कर्मियों की मानसिक स्थिति ऐसी ही बन जाती है। न उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है न वह काम और परिवार में संतुलन बना पाते हैं जिसका गुस्सा प्रायः संपर्क में आने वाली जनता पर निकलता है।

शिफ्ट सिस्टम का कार्यान्वयन-कोई काम पर हो, कोइ विश्राम पर

पुलिस की इस कार्य–परिस्थिति पर काफ़ी विचार–विमर्श पुलिस नेतृत्व, सरकार और अन्य पणधारियों द्वारा किया जा चुका है। और, पुलिस की कार्य अवधि को निश्चित करने के लिए 'शिफ्ट व्यवस्था' की शुरूआत करने को इसके सम्भावित समाधान के रूप में सुझाया गया है। पुलिस व्यवहार और उनके काम की गुणवत्ता में सुधार को इसका श्रोत मानते हुए इसकी आवश्यकता तथा इसके कार्यान्वयन में आवश्यक संसाधन (जनबल) को मापने के लिए पुलिस अनुसंधान एंव विकास ब्यूरो (बी.पी.आर. एण्ड डी.) ने श्री कमल कुमार, सेवानिवृत आई.पी.एस. अधिकारी को राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन करने की ज़िम्मेदारी सौंपी थी। इस अध्ययन की रिपोर्ट को बी.पी.आर. एण्ड डी. ने हाल ही में "थाने में ८ घंटे शिफ्ट के लिए जनबल की राष्ट्रीय आवश्यकता" शिर्षक से प्रकाशित किया है।

इस अध्ययन के अंतर्गत किये गये सर्वेक्षण के अनुसार ६६% पुलिसकर्मियों को यह महसूस होता है कि ८ घंटे की शिफ़्ट व्यवस्था से पुलिस के कार्य–निष्पादन में सुधार आएगा। वहीं उनमें से ८४% का यह विश्वास है कि इस व्यवस्था के लागू करने से किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। ६५.७% थाना कर्मचारी और ६६.३% वरिष्ठ पर्यवेक्षक अधिकारियों के अनुसार 'शिफ्ट सिस्टम' कर्मचारियों के व्यक्तिगत/पारिवारिक जीवन और उनके सामाजिक दायित्व के लिए अधिक हितकर होगा। इसी प्रकार ६६% वरिष्ठ पर्यवेक्षक अधिकारियों को लगता है कि 'शिफ्ट सिस्टम' उनके थाने के कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव डालेगा।

थानों में ८ घंटे से अधिक काम की आवश्यकता उत्पन्न करने वाले कारक इसी के साथ इस अध्ययन में उन कारकों को भी चिन्हित किया गया है जिसके कारण ६०% पुलिस कर्मियों को प्रतिदिन ८ घंटे से अधिक अवधि तक काम करना पड़ता है, जैसे–लगातार बढ़ती कानून–व्यवस्था कर्तव्य, लगातार बढ़ती वी.आई.पी. बंदोबस्त और सुरक्षा डयूटी, अपराधिक कार्यों में बढ़ती जटिलता, थानों में जनबल की कमी, थानों का अव्यवस्थित कार्य–कलाप, थानों से संबंधित नहीं होने वाले कार्यों में जनबल का अटैचमेंट, तकनीक का अपर्याप्त संचार और तकनीकी सहायता/उपकरणों की अनुपलब्धता, अदालती कार्यों की प्रक्रिया आदि। इन्हें ध्यान पूर्वक देखने से ज्ञात होता है और जिसकी अध्ययन में सिफ़ारिश भी की गई है कि वही मूल कार्य रूप से पुलिसिंग से भिन्न है। इन कार्यों को किसी अन्य एजेंसी को आऊटसोर्स किया जा सकता है और इसकी पहचान करके जल्द ही ऐसा किया जाना चाहिए।

शिफ्ट सिस्टम – अनिवार्य कदम

अध्ययन के निष्कर्ष में 'शिफ़्ट सिस्टम' को जनमैत्री पुलिस तथा बेहतर कार्य निष्पादन के लिए थाना स्तर पर लागू करने को जहां एक अनिवार्य कदम बताया गया है, वहीं इसे लागू करने के लिए अतिरिक्त जनबल का भी आकलन किया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय आवश्यकता, ३,३७,५०० अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की होगी। इस आवश्यकता को पूर्ण करते हुए पुलिस बल की एक अन्य कमी को दूर करने का भी सुझाव दिया गया है। यह सिफ़ारिश की गई है कि यह अतिरिक्त संख्या पूरी करने के लिए भर्ती केवल महिला पुलिस की ही जाए जिससे बल में उनका प्रतिनिधित्व वर्तमान के ४.४% (१ जनवरी २०१३ तक के आँकड़ों के अनुसार) से बढ़कर २०% हो जाएगा।

निष्कर्ष

थाना स्तर पर 'शिफ्ट सिस्टम' को लागू करना न केवल पुलिस के सर्वांगीण कार्य–निष्पादन और व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक जीवन के लिए आवश्यक है बल्कि यह आम जनता के लिए भी उतना ही आवश्यक है। क्योंकि, थकी हुई हो या चुस्त – दुरूस्त, पुलिस की आवश्यकता सबसे अधिक आम जनता को है। फिर, क्यों न सरकारें जनता और पुलिस बल के प्रति अपने दोहरे दायित्व का निर्वहन करते हुए इस कार्य–शैली को अतिशीघ्र कार्यान्वित करें? हमारे पास केरल का सफ़ल उदाहरण भी उपलब्ध है।

– ज़ीनत मलिक

क्या आपको भी लगता है कि 'शिफ्ट वयवस्था' से जनता और पुलिस दोनों को लाभ होगा? या आपका कुछ और मत है? कृपया हमें अपने पत्रों, ईमेल या फोन द्वारा अवश्य बताएं।

तथ्य एंव आँकड़े

पुलिस की कार्य अवधि : अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

देश	कार्य–अवधि	समय के अंतराल में
एसेक्स	४८ घंटे से अधिक नहीं	सप्ताह में
कनाडा	सुबह–१० घंटे की शिफ़्ट दिन–१० घंटे की शिफ़्ट रात–८.१/२ घंटे की शिफ़्ट	प्रतिदिन में
यू.एस.ए.	४० घंटे	सप्ताह में
ऑस्ट्रेलिया	८ घंटे की ३ शिफ़्ट	प्रतिदिन में
हाँग काँग	३ शिफ़्ट	प्रतिदिन में
दक्षिण अफ्रिका	८ घंटे या ४० घंटे (प्रशासनिक कर्मियों के लिए) ८ एंव १२ घंटे की शिफ़्ट (अन्य के लिए)	प्रतिदिन या सप्ताह में १२ घंटे की शिफ़्ट ८ दिनों में ३-४ बार

सौजन्य : "थाने में ८ घंटे शिफ्ट के लिए जनबल की राष्ट्रीय आवश्यकता" नामक २०१५ में प्रकाशित बी.पी.आर. एण्ड डी. की रिपोर्ट।

पृष्ठ १ का शेष भाग.....

क्या शिफ़्ट सिस्टम को लागू करने से जांच के काम पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा?

शिफ़्ट सिस्टम को वैसे तो, जैसा कि मैंने पहले बतलाया, अपराधों के अनुसंधान में लागू नहीं किया जा सकता। उससे निपटने के लिए दूसरे तरीके हैं।

आपके अनुसार इन सिफ़ारिशों को पूर्ण रूप से और पूरे राज्य में लागू करने के लिए आदर्श रूप से राज्य को कितना समय लगना चाहिए?

यह राज्य सरकार की पद्धति पर पर निर्भर करता है। यदि वह रिपोर्ट की सिफ़ारिशों को तुरंत, विलंब के बगैर स्वीकार करते हैं। अगर वे चाहें तो इस रिपोर्ट को चरणबद्ध तरीके से लागू कर सकते हैं।

शोध के परिणाम के बाद जब यह निष्कर्ष निकल चुका है कि शिफ़्ट सिस्टम, पुलिसकर्मियों के व्यक्तिगत जीवन और कार्य निष्पादन में सुधार लाएगी, बी.पी.आर. एण्ड डी. इसके कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाने वाली है?

जैसा कि आप जानते हैं, संविधान के अंतर्गत 'पुलिस' राज्य का विषय है। बी.पी.आर. एण्ड डी., राज्य सरकारों को इसके कार्यान्वयन को तुरंत लागू करने की सिफ़ारिश के साथ केवल रिपोर्ट भेज सकती है। मैं सोचता हुँ उन लोगों ने राज्य सरकारों को पहले ही रिपोर्ट भेज दी है।

इस शोध के परिणाम में से एक और बात स्पष्ट हुई है कि अभी और शोध किये जाने की यन के आवश्यकता है, तो इसके कार्यान्वयन के पहले आप किन संबंधित विषयों पर शोध करने की सिफ़ारिश करेंगे?

जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया, यह पुलिस की लंबी और तर्कहीन कार्य अवधि के विषय को वैज्ञानिक और आनुभविक तरीके से अध्ययन करने की पहली कोशिश है। स्पष्ट है कई पहलुओं पर आगे शोध किये जाने की आवश्यकता है। पहला कदम होगा रिपोर्ट के सिद्धांतों की पूर्णतः स्वीकृति और सभी राज्यों के कम से कम कुछ थानों में प्रायोगिक आधार पर इसका कार्यान्वयन। इस प्रकार के उदाहरण को फिर देश भर के शेष थानों में लागू करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अध्ययन में सुझाए गये पहलुओं पर भी शोध साथ–साथ जारी रह सकता है।

इस शोध से संबंधित कोई अन्य जानकारी?

देश में पुलिसिंग की गुणवत्ता के लिए बहुत अधिक सुधार की ज़रूरत है, इसमें कोई वाद–विवाद नहीं है। मेरे विचार में, थाना स्तर के पुलिसकर्मियों की कार्य अवधि को तर्कसंगत बनाने को पुलिस सुधार की ओर पहले कदम के रूप में लिया जाना चाहिए। यह अविलंब्य है और इसमें और देर बर्दाश्त नहीं है।

क्या आप जानते हैं?

पुलिस अनुसंधान एंव विकास ब्युरो (बी.पी.आर. एण्ड डी.) द्वारा पुलिस कार्यों के लिए 'शिफ्ट सिस्टम' पर किये गये शोध के परिणाम को प्रकाशित गया है। इसमें इसके कार्यान्वयन को आवश्यक बतलाया गया है और इसके लिए कुछ सिफ़ारिशें की गई हैं जिन्हें हम यहां आपकी सूचना के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।

सिफ़ारिशें : शिफ्ट सिस्टम की ओर क़दम

सामान्य

i. थानों में शिफ्ट सिस्टम की शुरूआत जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी की जानी चाहिए। इसके लिए जो काम ८ घंटे की निश्चित अवधि के भीतर किये जा सकते हैं, जैसे कि अदालत के काम, एकाउंट और संस्थापना से संबंधित और दूसरे कार्यालय आदि संबंधित कार्यों को उन कार्यों से अलग करने की आवश्यकता है जिसमें स्टाफ़ को लंबी अवधि तक उपलब्ध रहने की जरूरत होती है।

ii. दो और तीन शिफ़्ट में किये जाने वाले कार्यों की अलग–अलग पहचान करके उसी के अनुसार कार्य निर्धारित किया जाना चाहिए।

iii. प्रत्येक थाने में हर कर्मी को नियमित रूप से एक साप्ताहिक अवकाश दी जानी चाहिए। स्टाफ़ द्वारा छुट्टी के आवेदन को जितना सम्भव हो उतना स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए।

vi. वर्तमान में विधमान, ड्यूटी की अवधि से अधिक काम करने के लिए मुआवज़े के तौर पर एक महीने के अतिरिक्त वेतन की व्यवस्था जारी रह सकती है।

v. इन सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन के लिए, कुछ कार्यकारी नीतियों और शोधकार्यों की आवश्यकता होगी। उनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है।

आवश्यक नीतिगत पहल

(I) शिफ्ट सिस्टम को थाने की अधिसूचित कार्य नीति के रूप में अपनाया जाना चाहिए और इसे राज्य पुलिस नियमावलियों में शामिल करना चाहिए।

(ii) प्रारम्भ में, शिफ्ट सिस्टम को एक वैकल्पिक नीति के तौर पर अपनाया जा सकता है, जिसे कुछ प्रकार के थानों में जैसे कि केवल महानगर, शहरी, शहरी–ग्रामीण संयुक्त, ट्रैफिक और महिला थानों में लागू किया जाना चाहिए।

सिफारिशों का कार्यान्वयन – परेशान नहीं, पुलिस चिन्तायुक्त और चुस्त होगी

(iii) थाने के कार्यों में तकनीक के संचार का स्तर भी एक ऐसा बिंदु है जिस पर सरकार और विभाग द्वारा निर्णय लिये जाने की आवश्यकता है।

(iv) जनबल की आवश्यकता को कम करने के लिए कई सम्भावित उपाय किये जाने हैं, जैसे पुलिसिंग के मूल कार्यों के अलावा अन्य कार्यों को आऊटसोर्स करना, इस पर भी नीति स्तर पर निर्णय लिया जाना है। आऊटसोर्स किये जाने वाले कार्यों की सुची को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक टास्क–फ़ोर्स का गठन किया जाना चाहिए। टास्क फोर्स उस एजेंसी की पहचान भी करेगा जिनसे प्रत्येक कार्यों को कराया जाना चाहिए।

(v) वर्तमान में थानों के लिए स्वीकृत संख्या बहुत कम है। इस संख्या में वृद्धि लंबी अवधि से उपेक्षित है। इसे शीघ्रता से नीतिगत उपाय के रूप में लिया जाना चाहिए।

(vi) जनबल को बढ़ाने के विषय में यह ध्यान देना आवश्यक है कि वर्तमान में देश में पुलिस : जनता का अनुपात बहुत बुरी स्थिति में है – एक लाख लोगों के लिए केवल १४५ पुलिसकर्मी। इस अध्ययन के अंतर्गत शिफ़्ट व्यवस्था के लिए लगभग ३,३७,५०० पुलिसकर्मियों की बढ़त के बाद भी यह अनुपात १७३:१००००० , जोकि विश्वव्यापी मानक २२२:१००००० से काफ़ी कम है।

(vii) इस संबंध में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वर्तमान में २०१३ के ऑकड़ों के अनुसार महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बल का केवल ४.४% है। इस अनुपात को बढ़ाना अति आवश्यक है। इसके मद्देनज़र, यह सलाह दी जाती है कि इस अध्ययन के अनुसार ३,३७,५०० अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की भर्ती केवल महिलाओं में से की जानी चाहिए।

(viii) इससे बल में, महिला पुलिस का अनुपात बढ़कर २०% हो जाएगा। इस कदम से दोहरा उद्देश्य पूरा होगा – थानों में शिफ्ट सिस्टम की शुरूआत और बेहतर पुलिसिंग के लिए महिलाओं की उपस्थिति में बढ़ोतरी।

(ix) पुलिस संगठन की दूसरी ईकाईयों की तरह थानों में जनबल के आवधिक लेखा परीक्षण के लिए नियमित व्यवस्था होनी चाहिए।

पुलिस नेतृत्व के स्तर पर आवश्यक पहल

(i) थाने के अधिकांश कार्य प्राचीन, पुनरावृत्तीय और यंत्र संबंधी होते हैं। इसलिए इसके काम में व्यापक पुनः अभियांत्रिकरण की आवश्यकता है। इसे तत्कालीन लिया जाना चाहिए जिसमें देश के विभिन्न भागों में पुलिस संगठनों द्वारा सफ़ल पहलकदमियों से सीख लेना भी शामिल है। जैसे : विजयवाड़ा पुलिस के अदालती कार्यवाही का सफ़ल मॉनिटरिंग सिस्टम और केरल पुलिस द्वारा अपनाई गई विभिन्न कार्यनीति।

(ii) तकनीक, जो सिद्ध बल गुणक और क्षमता बढ़ाने वाला होता है, इसे अध्ययन के दौरान पहचाने गये कार्यों के अलावा थाने के कामकाज में पुरी तरह उपयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए भी अन्य थानों द्वारा सफ़ल प्रयोगों से सीख लेनी चाहिए।

(iii) कई दूसरे बल गुणक यंत्रों को भी, जिनकी पहचान अध्ययन के दौरान की गई थी, जनबल भर्ती को प्रभावकारी बनाने के लिए अपनाया जाना चाहिए।

(iv) पुलिसकर्मियों द्वारा बहुकार्यन का पूरी तरह उपयोग किया जाना चाहिए। इसे एस.एच.ओ. को मार्गदर्शन और पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण और नियमित मानीटरिंग से लागू कराना चाहिये।

(v) थाना कर्मचारियों का बहुत सा समय एस.एच.ओ. और वरिष्ठ पर्यवेक्षक अधिकारियों की अप्रत्यक्ष इमरजेंसी के डर के कारण बर्बाद होता है जिससे निपटने के लिए उनके पास स्टाफ उपस्थित नहीं होता है। इसे निर्देश, मॉनिटरिंग और नियमित परामर्श से सम्बोधित किया जा सकता है।

आवश्यक शोध कार्य

थाने के विभिन्न कार्यों के लिए वैज्ञानिक रूप से निर्धारित नियमों तक पहुँचने के लिए ऑपरेशन रिसर्च किये जाने की आवश्यकता है। पुलिस की उपस्थिति को सार्वजनिक स्थानों में रहने के कारण या पुलिसिंग के अन्य कार्यों के कारण उन्हें होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए इसे कर्मचारी परिस्थिति विज्ञान से जोड़ा जा सकता है। थाना स्तर पर विभिन्न तकनीकों के प्रभाव के महत्व को तय करने के लिए शोध किया जाना उपयोगी होगा। मूल पुलिसिंग कार्यों से अलग कार्यों को पहचानने, उन्हें की जानी वाली सम्भावित एजेंसियों को पहचानने और प्रत्येक कार्यों के आउटसोर्स की पद्धति और उन्हें दिये जाने वाले कार्यों के लिए भी शोध किया जाना चाहिए। इन अध्ययनों के परिणाम से, दूसरी चीज़ों के अलावा वास्तविक रूप से पुलिसिंग की संपूर्ण गुणवत्ता में सुधार के अलावा, जनबल आवश्यकता को कम करने में सहायता मिलेगी।

– प्रस्तुति : ज़ीनत मलिक

आपके विचार

आदरणीय संपादिका जी,

सादर नमस्कार!

मैं पुलिस विभाग में कुछ विशेष सपने लेकर आया था और आज भी सपनों के साथ कर्तव्यों का निवर्हन कर रहा हुँ।

आपकी पत्रिका में पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के लेख पढ़े काफ़ी तसल्ली हुई। विभाग के बारे में कुछ विशेष बातें मैं यहां बताना चाहता हुँ जो भ्रामक स्थिति पैदा करती हैं। इसका मकसद केवल यह है कि उनका निराकरण हो जाए जिससे मुझ जैसे हज़ारों पुलिसकर्मियों का मनोबल ऊँचा हो जाए, उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाए तथा पब्लिक में पुलिस की इज्ज़त हो।

मेरी सर्विस २१ वर्ष की होने के बाद मुझे प्रोमोशन न मिलना। जबकि मेरे से ६-८ वर्ष बाद भर्ती आरक्षकों का प्रोमोशन होकर वे सब इंस्पेक्टर तक पहुँच गये। यहां ग़ौर करने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति ने रात दिन विपरीत परिस्थितियों में मात्र रिकॉड अच्छा रखने के लिए ईमानदारी से नौकरी की काम किया, वह आरक्षक ही रह गया लेकिन एक दूसरा आरक्षक जिसने दिन–रात लड़ाई–झगड़ा किया, महीनों गैर हाज़िर रहा, शराब के नशे में धुत रहा, संगीन इल्जाम लगे, फिर भी वह दीवान जी बन गया। ऐसा व्यक्ति जो लगातार विभागीय दण्ड पाता रहा अपनी गलतियों के कारण। लेकिन, उसे ही प्रमोशन मिल गया वहीं उस व्यक्ति का क्या जिसने केवल अपना कर्तव्य निभाया लेकिन कभी प्रोमोशन नहीं मिला। ऐसे में लोगों परिजनों को जवाब देना कठिन होता है कि मेरा प्रोमोशन क्यों नहीं हुआ। इससे समाज और परिवार तथा रिश्तेदारों में छवि मलिन होती है।

आरक्षकों को कभी अर्दली बनाकर, कभी घरेलू नौकर बनाकर, फिल्मों नाटकों आदि में फुहड़ या जोकर जैसा दिखाकर अपमानित किया जाता है। — आपने कभी आरक्षक का इंटरव्यू लिया है, विभागीय नीति निर्धारण विभागीय बैठकों जिन्हें परामर्शदात्री समिति, दरबार आदि कहा जाता है, बेख़ौफ़ बोलते, उसकी बात को अधिकारियों द्वारा तन्मयता से सुनते देखा है। जिसे अवकाश लेने, अपना जी.पी.एफ. लेने, बीमार होन पर डॉक्टर के पास जाने आदि तक के लिए गिड़गिड़ा कर अवकाश मांगना पड़ता है, उसे बोलने अपनी बात रखने तक का अधिकार नहीं है।

मैंने आपकी पत्रिका से प्रभावित होकर लिखा है। आपकी पत्रिका विभागीय विसंगतियां समाप्त करें। हम जैसों का मनोबल बढ़ाये। आपको नई ऊँचाईयां दे।

शुभकरमनाओं के साथ,

आपका प्रिय आरक्षक

मध्य प्रदेश पुलिस

(नोटः हमारे पास चार पृष्ठ का पत्र मौजूद है लेकिन जगह की कमी के कारण पूरा पत्र न छापकर हमने मुख्य बातें प्रकाशित की हैं। और, हमारी संवेदना आप सभी आरक्षकों के साथ है जिन्हें असमान प्रोमोशन नीतियों के कारण लंबी अवधि के बाद भी पदोन्नति नहीं दी गई है। पत्रिका के माध्यम से इसे उजागर करना लाभकारी होगा, हम ऐसी कामना करते हैं।)

पुलिस समाचार - हर कोने की हलचल

बलात्कार सर्वाइवर को आरोपी के साथ यात्रा न कराएं!

पुलिस को बलात्कार पीड़िताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर, राकेश मारिया ने सभी थानों को सर्कुलर जारी करके चेतावनी दी है कि जो अधिकारी जांच के दौरान, बलात्कार पीड़िताओं को आरोपी के साथ एक ही वाहन में यात्रा करने पर मजबूर करते हैं उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

हांलाकि, जूनियर अधिकारी ऐसा करने का कारण थानों में आवश्यक वाहनों की अनुपस्थिति को बताते हैं जिस कारण आदेश का पालन करना सम्भव नहीं हो पाता है। यह आदेश १० फरवरी को दिया गया, जिसमें कहा गया था कि पुलिस अधिकारियों को बलात्कार पीड़ितों और आरोपियों को एक ही वाहन में चिकित्सीय परीक्षण के लिए ले जाते हुए देखा गया है।

जबकि एक जुनियर अधिकारी ने कहा कि, हमारे वरिष्ठ अधिकारी कोई आदेश जारी कर देते हैं और उसके फॉलो–अप के बारे में पूछते रहते हैं, लेकिन वे थाने की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहते हैं। अगर वे चाहते हैं कि हम उनके आदेशों का पालन करते रहें, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वे हमें आर्थिक रूप से सहयोग करते रहें।'

एक अन्य अधिकारी ने कहा, "वे आवधिक फोलो–अप करते रहते हैं, लेकिन फंड का क्या? क्या हम अपनी जेब से पैसे खर्च करें?" हांलाकि, मुंबई पुलिस के प्रवक्ता डी.सी.पी. धनन्जय कुलकर्णी के अनुसार सभी थानों के पास ६ वाहन हैं और अधिकारी बहाना नहीं बना सकते हैं, ऐसी ग़लतियाँ अस्वीकार्य हैं।

पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेश को यदि वास्तविक रंग देना है तो थानों में न केवल वाहनों को उपलब्ध कराना होगा बल्कि आवागमन के लिए आवश्यक ईंधन का न होना भी ऐसे आदेशों के पालन में प्रायः बाधक होता है। मुंबई ही नहीं, कई स्थानों पर थाना स्तर के पुलिसकर्मियों ने यह शिकायत की है कि जांच के दौरान भी यदि वाहन मौजूद है तो डीज़ल नहीं होता और इसके लिए थाने के पास पर्याप्त फंड नहीं होता है। कई बार हम अपनी जेब से पैसे खर्च करते हैं लेकिन यह हमेशा सम्भव नहीं।

आवश्यक है कि थानों को दैनिक कार्यों के लिए उन्हें एक निश्चित मासिक फंड दिया जाए ताकि उन्हें ऐसे कार्यों के लिए ज़िला कार्यालयों पर निर्भर न रहना पड़े।

(सौजन्य: मिड डे डॉट कॉम, २९ दिसंबर २०१४)

भारत में ५ लाख पुलिसकर्मियों की कमी!

२०१३ में भारत ने अपराधों में १०% वृद्धि की, जबकि देश में पुलिसकर्मियों की उतनी ही कमी जारी है जितनी पिछले वर्ष थी। दूसरी ओर, ४७००० अधिकारी आज भी १५००० विशेष संरक्षण प्राप्तकर्ताओं की सेवा में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, देश भर में तकरीबन २३% पुलिसकर्मियों की कमी है।

इस देश के लिए यह एक बहुत बड़ी कमी है जहां जनता और पुलिस का अनुपात विश्व स्तर पर स्वीकृत मानदण्ड से तकरीबन डेढ़ गुना कम है। जहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा सुझाये गये मानदण्ड के अनुसार प्रत्येक ४५० व्यक्ति पर १ पुलिसकर्मी मौजूद होना चाहिए, वहीं भारत का अनुपात प्रत्येक ७०६ व्यक्ति पर १ पुलिसकर्मी का है। एन.सी.आर.बी. के अनुसार देश में ०.५ मिलियन पुलिसकर्मियों की कमी है। वर्तमान पुलिस की संख्या १.७३ मिलियन है जबकि अनुमोदित संख्या २.२४ है।

जहां भारत में प्रत्येक ७०६ व्यक्ति पर १ पुलिसकर्मी हैं वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान की स्थिति इस मामले में बेहतर है और वहां प्रत्येक ४८३ व्यक्ति पर १ पुलिसकर्मी मौजूद हैं। जबकि, सबसे अच्छा अनुपात बेलारूस का है जहां प्रत्येक ६६ व्यक्ति पर १ पुलिसकर्मी है।

भारत के राज्यों में पुलिस–जनता घनत्व को देखा जाए तो मिज़ोरम और मणिपुर में यह घनत्व क्रमशः ११० व्यक्ति पर १ पुलिसकर्मी तथा ६८ व्यक्ति पर १ पुलिसकर्मी है। वहीं दिल्ली और चंडीगढ़ में क्षेत्रीय घनत्व सबसे अच्छा है।

वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि जहां अपराधों में वृद्धि के कई कारण हो सकते हैं वहीं, भारत में पुलिस की संख्या में कमी को दूर करना अपराधों में कमी लाने का एक उपाय हो सकता है।

(सौजन्य: टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, २९ दिसंबर २०१४)

विदेशी पर्यटकों के लिए ऑनलाईन एफ.आई.आर.

आगरा घूमने जाने वाले विदेशी पर्यटक अब अपना एफ.आई.आर. ही दर्ज करवा सकेंगे। भारत में आने वाले विदेशियों के लिए इस प्रकार की यह पहली सुविधा होगी, जिसे आगरा के एफ.आर.ओ. द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। एजेंसी इसके लिए एक वेबसाईट स्थापित करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है जो शिकायत दर्ज कराने में सहायक होगा। एक बार दर्ज हो जाने के बाद, समस्या के निदान के लिए एक निश्चित समय के भीतर पुलिस अधिकारी शिकायतकर्ता से संपर्क करेंगे।

बगैर थाने जाए ही दर्ज करवा सकेंगे। भारत में आने वाले विदेशियों के लिए इस प्रकार की यह पहली सुविधा होगी, जिसे आगरा के एफ.आर.ओ. द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। एजेंसी इसके लिए एक वेबसाईट स्थापित करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है जो शिकायत दर्ज कराने में सहायक होगा। एक बार दर्ज हो जाने के बाद, समस्या के निदान के लिए एक निश्चित समय के भीतर पुलिस अधिकारी शिकायतकर्ता से संपर्क करेंगे।

एफ.आर.ओ. के अधिकारियों के अनुसार, वेबसाईट दो प्रकार के अपराधों को आगे बढ़ाएगा– पहला, खोया–पाया तथा मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से संबंधित अपराध। एफ.आर.ओ. योगेश पाठक ने कहा "यदि कोई विदेशी पर्यटक किसी शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना का शिकार होता है या उससे कोई वस्तु गुम हो जाती है तो उसे थाने के लंबे चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्हें केवल एक फार्म भरकर अपने नाम और मोबाईल नं. और ई–मेल के साथ देना होगा। मामले की जांच की जाएगी और हमारे अधिकारी शीघ्र ही शिकायतकर्ता से मिलेंगे।" वेबसाईट पर भी एक तत्काल इंक्वायरी अनुभाग है जहां विदेशी अधिनियम और इसी प्रकार के मुद्दों से संबंधित पूछताछ को संबोधित किया जाएगा।

वैसे, विभाग की योजना यह भी है कि वह वेबसाईट को एक विशेष सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाए जिसका उपयोग होटलों द्वारा वहां ठहरे हुए विदेशी पर्यटकों के विवरण प्रदान करने के लिए किया जाए। शहर में रहने वाले विदेशी पर्यटकों को अनिवार्य रूप से स्वंय को स्थानीय इंटेलिजेंस यूनिट से (एल.आई.यू.) के पास रजिस्टर कराना होगा। कुछ समय पहले तक होटलों को विदेशी पर्यटकों के चेक इन करने के २४ घंटों के भीतर एल.आई.यू. को फॉर्म भर कर देना होता था। इस काम के लिए अब आगरा के प्रत्येक होटल को एल.आई.यू. कार्यालय से जोड़े जाने के लिए प्रयत्न जारी है।

आगरा के एफ.आर.ओ. और पुलिस द्वारा विदेशी पर्यटकों के आगरा में भ्रमण को सरल व सुगम बनाने के लिए यह एक बेहद सराहनीय कदम है। इससे आवश्यकता पड़ने पर न केवल पर्यटकों का घूमने–फिरने का समय बचेगा बल्कि उन्हें ठहराने वाले होटलों के लिए भी प्रक्रिया सरल हो जाएगी।

(सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, १६ जनवरी २०१५)

उत्तराखण्ड : जनता के लिए नया ऐप

दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रारम्भ किये गये 'हिम्मत' मोबाईल ऐप की ही तरह उत्तराखण्ड पुलिस ने मोबाईल के लिए एक ऐसा ऐप तैयार किया है जो ख़तरे में आए लोगों को पुलिस तक शीघ्र पहुँचने में सहायता करेगा।

प्रारम्भिक चरण में, पुलिस चोरी और खोया–पाया जैसे मामालों को इस प्रोजेक्ट में लेने का ईरादा रखती है। इसके बाद यदि चीज़ें योजना के अनुसार काम करती हैं, महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराध और दूसरे गंभीर अपराधों को भी इस ऐप में सम्मिलित किया जाएगा।

हांलाकि, इस ऐप के प्रारम्भ करने के पहले शिकायत प्राप्त करने के लिए अलग कंट्रोल रूम बनाने के अलावा पुलिस मुख्यालय को शिकायतों को सम्बोधित करने के लिए उचित व्यवस्था को सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए पुलिस विभाग पुलिस आधुनिकिकरण स्कीम के अंतर्गत केन्द्र को ५ करोड़ रू का एक प्रस्ताव भेजने वाला है।

पुलिस महानिदेशक श्री बी.एस. सिद्धु ने कहा कि 'विवरण एकत्रित करना और पुलिस टीम को घटनास्थल पर भेजना इस प्रोजेक्ट की दो बड़ी प्राथमिकताएं होंगी। हम अपने सिस्टम को अप्डेट करने के लिए ५ करोड़ रू का एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। जैसे ही सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है, लोगों के पास मोबाईल फोन द्वारा अपनी शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसका अर्थ होगा कि इसके लिए पुलिस टीम को किसी भी स्थान पर पहुँचने के लिए तैयार रहना होगा।'

साथ–साथ, अधिक जनबल और पी.सी.आर. वैन भी राज्य पुलिस की राह में दो बड़ी अड़चनें हैं। हांलाकि, १००० कांस्टेबल और ८०० सब इंस्पेक्टरों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है, उच्च अधिकारियों को विश्वास है कि वह प्रोजेक्ट के लिए जनबल की आवश्यकता को पूरी कर पाएंगे। जबकि, यह पी.सी.आर. वैन खरीदने के लिए केन्द्र द्वारा अनुदान की स्वीकृति पर आश्रित है।

डी.जी.पी. ने कहा 'एक बार पूरी व्यवस्था तैयार हो जाए तो हम ऐप्लीकेशन को जनता के लिए लॉन्च करने की योजना बनाएंगे।'

प्रदेश पुलिस द्वारा जनता की सहायता करने के लिए यह एक सराहनीय कोशिश है और पुलिस विभाग को इसके लिए शुभकामनाएं!

(सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, ७ फरवरी, २०१५)

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान संपादक : ज़ीनत मलिक, तीसरी मंज़िल, ५५ ए, सिद्धार्थ चैम्बर्स, कालू सराय, नई दिल्ली–११००१६, भारत
टेली : ६१ ११ ४३१८ ०२००० फैक्स : ६१ ११ २६८६४६८८, वेबसाईट: http//www.humanrightsinitiative.org